उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या- 14/2018/ 809/सत्रह-म-2018-6-9(141)/17 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 31 मई, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त तालिका के कालम संख्या-2 में उल्लिखित उप निदेशक मत्स्य के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को शासकीय एवं जनहित में उनके वर्तमान स्थान से तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने के साथ ही उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या-4 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार (बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के) प्रदान किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है :-

क्र0 सं0	**अधिकारी का नाम /पदनाम/वर्तमान तैनाती**	**नवीन तैनाती**	**अतिरिक्त कार्यभार**
1	**2**	**3**	**4**
1	श्री संजय कुमार शुक्ला उप निदेशक मत्स्य, कानपुर मण्डल कानपुर	उप निदेशक मत्स्य (नियोजन), मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ	संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय का अतिरिक्त प्रभार
2	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह उप निदेशक मत्स्य, बस्ती मण्डल बस्ती	झांसी मण्डल झांसी	चित्रकूटधाम मण्डल व कानपुर मण्डल का अतिरिक्त प्रभार
3	श्री गिरीश चन्द्र यादव उप निदेशक, मत्स्य सहारनपुर मण्डल सहारनपुर	बस्ती मण्डल बस्ती	वाराणसी मण्डल का अतिरिक्त प्रभार
4	श्री राजीव कुमार गौड उपनिदेशक मत्स्य, बरेली मण्डल बरेली	सहारनपुर मण्डल सहारनपुर	-
5	श्री पुनीत कुमार उप निदेशक मत्स्य, आगरा मण्डल आगरा	-	बरेली मण्डल का अतिरिक्त प्रभार

2- उपरोक्त अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की एक प्रति शासन व निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को 01 सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

3- तालिका के क्र0सं0-2 पर अंकित अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं क्र0सं0-3 पर अंकित अधिकारी श्री गिरीश चन्द्र यादव का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया गया है। अत: यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4- स्थानान्तरित अधिकारी का जो भी अगले माह का वेतन होगा, वह उनकी पूर्व तैनाती के स्थान से आहरित नहीं होगा।

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 14/2018/ 809(1)/सत्रह-म-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) निदेशक मत्स्य ,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, कानपुर/झांसी/ बस्ती/चित्रकूट/ सहारनपुर/ बरेली/ आगरा/ लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, कानपुर/ झांसी/ बस्ती/ चित्रकूट/सहारनपुर/ बरेली/ आगरा/ लखनऊ।
(5) कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर/ झांसी/ बस्ती/ चित्रकूट/सहारनपुर/ बरेली/ आगरा/ लखनऊ।
(6) सम्बंधित अधिकारीगण **द्वारा** निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।